

57019.57/3410/12/07/01-4124

BS-50/6


क्र.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	117.1	कार्यकारी समिति की 116 वीं बैठक दिनांक 26.05.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	117.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम जामडौली तहसील जयपुर के ख. नं. 510/1/1 रकबा 25 बीघा एवं ख.नं. 510/2 रकबा 25 बीघा कुल किता 2 रकबा 50 बीघा भूमि का भू-उपयोग ईकोलोजिकल से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री ओमप्रकाश व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूमि में पहुंच मार्ग हेतु आवेदक द्वारा 100 फिट सड़क उपलब्ध कराये जाने के बाद आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-10	
3	117.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित न्यू पिकसिटी गृ.नि.स.स. की योजना श्याम नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या एफ-2 क्षेत्रफल 525.00 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री विनोद कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राप्त हुई आपत्ति को खारिज करते हुये जविप्रा द्वारा अनुमोदित न्यू पिकसिटी गृ.नि.स.स. की योजना श्याम नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या एफ-2 क्षेत्रफल 525.00 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। एफएआर एवं सैटबैक नियमानुसार देय होगा।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-5	
4	117.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा उर्फ कवरपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 623/2 कुल रकबा 0.08 है 0 अर्थात 800 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्रीमति शर्मिला जैन पत्नि श्री पवन जैन)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामपुरा उर्फ कवरपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 623/2 कुल रकबा 0.08 है 0 अर्थात 800 वर्ग मीटर में से 8 व. मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के बाद शेष 792 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। एफएआर एवं सैटबैक नियमानुसार सामने स्थित सड़क के अनुसार देय होगा।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
5	117.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा उर्फ कवरपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 623/1 कुल रकबा 0.11 है 0 अर्थात 1100 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री पवन जैन पुत्र श्री नेमीचन्द्र जैन)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामपुरा उर्फ कवरपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 623/1 कुल रकबा 0.11 है 0 अर्थात 1100 वर्ग मीटर में से 62 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1038 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। एफएआर एवं सैटबैक नियमानुसार सामने स्थित सड़क के अनुसार देय होगा।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
6	117.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मानपुर उर्फ नागल्या तहसील सांगानेर के ख.नं. 202 रकबा 1.32 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री नाथुलाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मानपुर उर्फ नागल्या तहसील सांगानेर के ख.नं. 202 रकबा 1.32 है 0 भूमि में से प्लान्टेशन कारीडोर की 112.50 व.मी. भूमि छोड़ने एवं सड़क सीमा में आ रही 1763.12 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 11324.38 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
7	117.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 3981, 3980 रकबा 2111.23 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण चौमू मास्टर प्लान में दर्शित आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (रामअवतार, रामप्रकाश, रामबाबू)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 3981, 3980 रकबा 2111.23 वर्ग गज भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 534 व.ग. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1577.23 व.ग. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
8	117.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर में दिगन्तर शिक्षा एवं खेल-कूद समिति को आवंटित खसरा नं. 349 व 352 कुल किता 2 रकबा 1.78 अर्थात 17800 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं मिश्रित से संस्थानिक (सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (दिगन्तर शिक्षा एवं खेल-कूद समिति)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर में दिगन्तर शिक्षा एवं खेल-कूद समिति को आवंटित खसरा नं. 349 व 352 कुल किता 2 रकबा 1.78 अर्थात 17800 वर्ग मीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 5100 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 12700 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं मिश्रित से संस्थानिक (सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-10	

क्र.स.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
9	117.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित माधव गृह नि.स.स. की योजना गोम्स डिफेन्स कोलोनी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 105-106 क्षेत्रफल 900.29 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सिद्धि विनायक प्रोजेक्टस एवं प्रिमिजेज प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित माधव गृह नि.स.स. की योजना गोम्स डिफेन्स कोलोनी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 105-106 क्षेत्रफल 900.29 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। एफएआर एवं सैटबैक नियमानुसार देय होगा।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
10	117.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बगरूरुद तहसील सांगानेर के खसरा नं. 70, 90, 91, 105 से 108, 108/975, 109, 111, 112, 114, 117, 120, 121, 143, 144, 145 किता 18 कुल रकबा 3.80 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण/रूपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै० सिद्धा पी.एस.आई.डी.एल. टाउनशिप प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया एवं कम्पनी द्वारा अपनी पूरी टाउनशिप योजना का ले-आउट प्लान एक साथ बनाते हुये रोड नेटवर्क दिखाया जावे। इसके पश्चात् परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
11	117.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं० 2521 से 2540, 2457/2680, 2458, 2459/2681, 2460/2682, 2505/2660/2671, 2507 से 2512, 2506/2670, 2504/2659, 2508/2662, 2505/2660/2663, 2508/2661, 2496, 2497, 2505 कुल किता 39 रकबा 16.96 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण व औद्योगिक से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (कृतिका अपार्टमेन्ट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। प्रस्तावित भूमि के सामने स्थित रीको की सड़क को 100 फिट किये जाने के सम्बन्ध में रीको से पूछा जावे एवं आवासीय उपयोग के सम्बन्ध में रीको से एनओसी ली जावे तत्पश्चात् परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
12	117.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सीतापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 341 कुल किता 1 रकबा 0.21 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मंगला व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम सीतापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 341 कुल किता 1 रकबा 0.21 है० भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 756.83 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1343.17 व. मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
13	117.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नीडड तहसील आमेर के खसरा नं. 2327, 2344 से 2353, 2357 से 2366, 2323, 2328, 2329, 2343 कुल किता 25 कुल रकबा 12.29 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (रुंगायच कोलोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूमि में पहुंच मार्ग हेतु आवेदक द्वारा मुख्य सड़क से भूमि तक 100 फिट सड़क उपलब्ध कराये जाने के बाद आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
14	117.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मोहबतपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 1129/2 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा अर्थात् 2.23 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (रामचन्द्र पुत्र स्व. श्री श्योनाथ मारफत मनोहर लाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं प्रस्तावित भूमि प्राधिकरण द्वारा जोईन्ट वेन्चर योजना में प्रस्तावित तो नहीं है, का परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
15	117.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चौमूखां तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 1247/1 रकबा 1 बीघा भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (स्व. गेंदी देवी शिक्षण संस्थान जरिये श्रीमति रेखा जोशी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चौमूखां तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 1247/1 रकबा 1 बीघा भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
16	117.16	कार्यकारी समिति की 116वीं बैठक दिनांक 26.05.07 के एजेण्डा नोट में तोपखाना देश गृ.नि.स. समिति की योजना नेमीनगर के भूखण्ड संख्या ए-6 क्षेत्रफल 485 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यक किया जाना था। जबकि पूर्व में कार्यकारी समिति की 116वीं बैठक दिनांक 26.05.07 को प्रेषित एजेण्डा में भूखण्ड संख्या ए-6 के स्थान पर भूखण्ड संख्या-6 टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया अतः भूखण्ड संख्या-6 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए-6 पढे जाने के शुद्धिकरण किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से तोपखाना देश गृ.नि.स. समिति की योजना नेमीनगर के भूखण्ड संख्या ए-6 क्षेत्रफल 485 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यक किया जाना था। जबकि पूर्व में कार्यकारी समिति की 116वीं बैठक दिनांक 26.05.07 को प्रेषित एजेण्डा में भूखण्ड संख्या ए-6 के स्थान पर भूखण्ड संख्या-6 टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया अतः भूखण्ड संख्या-6 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए-6 पढा जावे का शुद्धिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	

25/6

क्र.स.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
17	117.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चांदावा तहसील फागी के ख.नं. 154, 278 से 282 कुल किता 6 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ एवं खसरा नं 355 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (श्रीमति निहाल कवर पत्नि श्री विजय कछावा व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूमि में से मुख्य सड़क से पहुंच मार्ग हेतु आवेदक द्वारा 100 फीट सड़क उपलब्ध कराये जाने के बाद आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
18	117.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम निवारू तहसील जयपुर के खसरा नं. 3 रकबा 21 बीघा भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम निवारू तहसील जयपुर के खसरा नं. 3 रकबा 21 बीघा भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
19	117.19	Agenda Regarding Approvel of Tender for the construction of retaining wall on B-2 bypass connecting Tonk Road to Mansarover, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता जोन-5 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार मैसर्स गुप्ता के.एन. की प्राप्त दर 23.40 प्रतिशत अधिक को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engineer-5	
20	117.20	कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक दिनांक 15.03.07 के कार्यवाही विवरण में त्रुटिवश ग्राम दहमीकलां वाया बगरू तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1944, 1945, 1946 व 1955 सम्मिलित करने से रह गये थे। अतः उक्त खसरा नम्बरों को पूर्व जारी कार्यवाही विवरण दिनांक 15.03.07 में सम्मिलित माने जाने बाबत। (ओमकार बिल्डकान प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक दिनांक 15.03.07 के कार्यवाही विवरण में त्रुटिवश ग्राम दहमीकलां वाया बगरू तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1944, 1945, 1946 व 1955 सम्मिलित करने से रह गये थे। अतः उक्त खसरा नम्बरों को पूर्व जारी कार्यवाही विवरण दिनांक 15.03.07 में सम्मिलित माने जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
21	117.21	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित जयपुर इन्डस्ट्रीयल एस्टेट गृ. नि. स. स. की योजना आदिनाथ नगर के भूखण्ड संख्या एस 6 क्षेत्रफल 386.66 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (गुरमीत सिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित जयपुर इन्डस्ट्रीयल एस्टेट गृ. नि. स. स. की योजना आदिनाथ नगर के भूखण्ड संख्या एस 6 क्षेत्रफल 386.66 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि का एफएआर एवं सैटबैक नियमानुसार देय होगा।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-4	
22	117.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित अपोलो गृ.नि.स.समिति की योजना लाल बहादूर नगर के भूखण्ड सं. पी-20, क्षेत्रफल 1272.87 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। (पोल्याका एस्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अपोलो गृ.नि.स.समिति की योजना लाल बहादूर नगर के भूखण्ड सं. पी-20, क्षेत्रफल 1272.87 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि का एफएआर एवं सैटबैक नियमानुसार देय होगा।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-4	
23	117.23	रेल्वे ओवर ब्रिज जातपुरा एवं 200 फिट महल रोड से प्रभावित अनुमोदित/गैर अनुमोदित योजनाओं/ रेल्वे की भूमि पर निर्मित दुकानों, मकानों एवं बेसमेन्ट के हितधारकों के पुर्नवास बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रेल्वे ओवर ब्रिज जगतपुरा एवं 200 फिट महल रोड से प्रभावित अनुमोदित/गैर अनुमोदित योजनाओं/ रेल्वे की भूमि पर निर्मित दुकानों, मकानों एवं बेसमेन्ट के हितधारकों के पुर्नवास हेतु उपायुक्त जोन-9 से प्राप्त आंशिक संशोधित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। जिनकी कार्यान्तर स्वीकृति आगामी अथोरिटी की बैठक में प्राप्त कर ली जावे।	उपायुक्त जोन-9	
24	117.24	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड सं. बी-540 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से उपायुक्त जोन-11 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ब्याज एवं पेनल्टी की राशि वसूल की जाकर प्रकरण को नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
25	117.25	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड सं. ए-322 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से उपायुक्त जोन-11 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ब्याज एवं पेनल्टी की राशि वसूल की जाकर प्रकरण को नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
26	117.26	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड सं. बी-780 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से उपायुक्त जोन-11 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ब्याज एवं पेनल्टी की राशि वसूल की जाकर प्रकरण को नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
27	117.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा स्वामित्व की राजस्व ग्राम गिरधारीपुरा तहसील बरसी के खसरा नम्बर 4/23, 4/24, 4/3/1 एवं खसरा नम्बर 53 कुल किता 4 कुल रकबा 151 बीघा 17 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा स्वामित्व के राजस्व ग्राम गिरधारीपुरा तहसील बरसी के खसरा नम्बर 4/23, 4/24, 4/3/1 एवं खसरा नम्बर 53 कुल किता 4 कुल रकबा 151 बीघा 17 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व. ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
28	117.28	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कस्बा आमेर तहसील आमेर के खसरा नम्बर 134 से 139, 169, 174, 147, 147/9821, 58, 59, 61, 61/9251, 60, 62, 63 कुल किता 17 रकबा 6.78 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम कस्बा आमेर तहसील आमेर के खसरा नम्बर 134 से 139, 169, 174, 147, 147/9821, 58, 59, 61, 61/9251, 60, 62, 63 कुल किता 17 रकबा 6.78 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्लांटेशन कोरीडोर में निहित होने वाली भूमि का जोन से परीक्षण कराकर वास्तविक भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित कराने की शर्त पर तथा एच.टी./एल.टी. लाईन से प्रभावित होने वाली भूमि के संबन्ध में भी जोन स्तर से परीक्षण करवाया जाकर उस भूमि को कम करते हुये शेष भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-10	
29	117.29	Planning Designing and execution of equestrian Arena " at JDA Organized Archery Shooting Equestrian Sports (OASES) complex, Jagatpura, Jaipur	शुटिंग रेन्ज परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया, कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण दो कमेटिया गठित करने का निर्णय लिया गया :- ए. तकनीकी परीक्षण कमेटी (1) निदेशक (प्रोजेक्ट) (2) निदेशक (अभियान्त्रिकी) (3) निदेशक (आयोजना) (4) अति. मुख्य अभियन्ता (प्रथम) जयपुर सम्भाग सा. नि.वि. (5) श्री विनोद भार्गव सेवानिवृत्त मुख्य वास्तुकार, सा.नि.वि. ब. वित्तीय परीक्षण कमेटी (1) निदेशक (वित्त) (2) निदेशक (अभियान्त्रिकी) (3) निदेशक (प्रोजेक्ट) (4) विशेषाधिकारी (आर.एम.) इन कमेटियों की अनुशंसा के आधार पर निविदा अनुमोदन हेतु आयुक्त जविप्रा को अधिकृत किया गया, तथा उनके द्वारा लिये गये निर्णय की कार्योत्ती स्वीकृति हेतु प्रकरण आगामी बैठक में पेश करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।	Zonel Engineer- 11A & Shooting Range	

  
 सचिव  
 2016  
 जविप्रा, जयपुर